न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 158/2016

सुमेर पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

वादी

बनाम

1. नरसराम पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. सुगन पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. सरितादेवी पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

प्रतिवादीगण

वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 27.10.17

वादी ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में खाता संख्या 128 के भूमि खसरा नम्बर 767 रकबा 1.50 है0 अवस्थित है। इस भूमि में वादी का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में खाता संख्या नया 298 के भूमि खसरा नम्बर 732 रकबा 0.50 है0, 733 रकबा 0.59 है0, 734 रकबा 0.48 है0, 735 रकबा 0.50 है0, 766 रकबा 0.15 है0 किता 5 कुल रकबा 2.22 है0 अवस्थित है। इस भूमि में 1/4 हिस्सा वादी का एवं प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/4 , प्रतिवादी नं. 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादीया नं. 3 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित भूमियां संयुक्त खातेदारी की शामलाती कृषि भूमियां है तथा भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। जिसके कारण खातेदार राजकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमियों में रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन करवाना चाहते है। अंत में निवेदन किया है कि ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में खाता संख्या 128 के भूमि खसरा नम्बर 767 रकबा 1.50 है0 अवस्थित है। इस भूमि में वादी का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में खाता संख्या नया 298 के भूमि खसरा नम्बर 732 रकबा 0.50 है0, 733 रकबा 0.59 है0, 734 रकबा 0.48 है0 735 रकबा 0.50 है0, 766

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (राज.)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.15 है0 किता 5 कुल रकबा 2.22 है0 अवस्थित है का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किया जाकर अलग-अलग खाता एवं लगान कायम किया जावें। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 जरिये वकील स्वयं उपस्थित होकर वादपत्र में अंकित भूमियों का रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने पर अपनी सहमति जताई है।

बहस दावा श्रवण की गई। बहस के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के वकलाय नें वादपत्र में अंकित भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने पर अपनी सहमति जताई है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 ग्राम सिंगनौर के भूमि खसरा नम्बर 767 रकबा 1.50 है0 की खातेदारी नरसा सुमेर पि. झाबरराम हि0 ब0 1/2, सुगन पुत्र झाबरराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 गिलों की ढाणी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम सिंगनौर के भूमि खसरा नम्बर 732 रकबा 0.50 है0, 733 रकबा 0.59 है0, 734 रकबा 0.48 है0, 735रकबा 0.50 है0, एवं 766 रकबा 0.15 है0 की खातेदारी नरसा सुगन सुमेर पि0 झाबरराम हिस्सा 3/4 एवं सरिता पुत्री महेन्द्रसिंह हि0 1/4 दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने पर सहमत है। अतः खातेदारान की सहमति के आधार पर उक्त वर्णित भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री हस आशय की दी जाती है कि ग्राम सिंगनौर के भूमि खसरा नम्बर 767 रकबा 1.50 है0 एवं ग्राम सिंगनौर के भूमि खसरा नम्बर 732 रकबा 0.50 है0, 733 रकबा 0.59 है0, 734 रकबा 0.48 है0, 735रकबा 0.50 है0, एवं 766 रकबा 0.15 है0 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में एक माह में प्रस्तुत करें।

27/10/17
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 27.10.17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/17
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner